संख्याः 2043 /33–पी0एम0यू0/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव पंचायतीराज,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी/ सचिव, जिला योजना समिति
जनपद– अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र तथा उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई, लखनऊ **दिनांक : 02 अप्रैल 2011**

विषयः बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का सामाजिक आडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सूचित करना है कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 25.01.2011 में भारत सरकार के बी0आर0जी0एफ0 गाइड लाइन के अध्याय–4 के प्रस्तर–4.15 के क्रम में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की सामाजिक आडिट कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि कार्य स्थलों पर सूचना पट लगवाने के निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन किया जाये। उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम की गाइड लाइन में निर्धारित सामाजिक आडिट की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन के उपरान्त सामाजिक आडिट का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

1. बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के कार्य स्थल पर साइन बोर्ड कार्यदायी संस्था द्वारा लगाये जायेंगे। साइन बोर्ड पर योजना/परियोजना का नाम, लम्बाई, अनुमानित लागत, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि, कार्य की विशिष्टियॉ, ठेकेदार का नाम एवं कार्यदायी संस्था का नाम/उत्तरदायी अधिकारियों के नाम (पदनाम एवं फोन नं0 सहित) आदि का विवरण अंकित किया जाना चाहिए। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कार्य स्थलों पर साइन बोर्डो की स्थापना की सूचना कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से पुष्टि करायी जायेगी। इसी प्रकार नगर निकाय के वार्डो में साइन बोर्डो के स्थापना की सूचना की पुष्टि नगर निकाय के सहयोग से अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा करायी जायेगी।

2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जनपद स्तर पर एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिसमें वर्षवार निकाय/पंचायतवार प्रगति विवरण अंकित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्षवार पंचायतों/निकायों की स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण, उन पर अवमुक्त धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्ण किये गये कार्यो की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। निकाय/पंचायतवार योजनाओं के लिए कार्यदायी संस्थाओं का भी उल्लेख किया जायेगा।

3. जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जनपद में प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक बोर्ड स्थापित कराया जायेगा, जिसमें बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की ग्राम पंचायतों की वर्षवार ली गयी योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण, उन पर अवमुक्त धनराशि व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का विवरण उल्लेख किया जायेगा।

4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जनपद में प्रतिष्ठित दो सबसे लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्षवार स्वीकृत कार्यो का निकायवार/पंचायतवार/कार्यदायी संस्थावार विवरण प्रकाशित कराया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की दस्तावेजों की छायाप्रति यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत/निकाय के निवासी द्वारा कार्यदायी संस्था से मांगी जाय तो उसे जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक लागत के बदले वह प्रति उपलब्ध करा दी जाय। यदि जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में कार्यदायी संस्था द्वारा दस्तावेजों की छायाप्रति नहीं उपलब्ध करायी जाती है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत/निकाय के निवासी इसकी सूचना अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को देंगे। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए दस्तावेजों की छायाप्रति सम्बन्धित व्यक्ति को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. नगर निकाय, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठकों एवं ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में योजनान्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यो पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 का दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को समय से कार्यो की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी के सहयोग से उपलब्ध करायेगें एवं उक्तानुसार नगर निकाय, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सामन्य बैठकों एवं ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में की गयी चर्चा/कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो की सामाजिक आडिट कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
O/C सचिव। 1.4.11

संख्याः 2043 /33–पी0एम0यू0/2011तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सम्बन्धित बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
2. जिला पंचायतराज अधिकारी, सम्बन्धित बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
3. अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी सम्बन्धित बी0आर0जी0एफ0 जनपद।

आज्ञा से

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
O/C विशेष सचिव।